

**कुमारी मायावती :** यह बिल्कुल गलत है.....(व्यवधान) कांशी राम जी को गिरफ्तार किया गया.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

**कुमारी मायावती :** आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं।.....(व्यवधान) एक एक्स एम.पी. खून में लथपथ.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया उन्हें सुनें।

.....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** पहले आप उनकी बात सुनें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

**कुमारी मायावती :** आप देश के प्रधान मंत्री हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि 21 तारीख को एक्स एम.पी. को गिरफ्तार किया गया था। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** महोदया, पहले आप उनकी बात सुनिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य :** इन्होंने तीन बार कहा है कि वे सदन नहीं चलने देंगे।.....(व्यवधान)

**श्री आरिफ मोहम्मद ख़ां :** आप तो संविधान नहीं चलने दे रहे हैं.....(व्यवधान) हम इस देश के संविधान को चलवाएंगे।.....(व्यवधान)

**श्री जाल कुष्ण आडवाणी :** दिल्ली के प्रदर्शन के संदर्भ में अगर कोई घटना किसी प्रकार की हुई होगी तो उसके पूरे तथ्य प्राप्त करके मैं इस सदन के सामने रखूंगा।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** श्री आरिफ मोहम्मद ख़ां, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

**डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) :** अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ मेरी बात सुनी जाए।.....(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जुलूम हुआ है। पांच सौ के करीब गिरफ्तारियां की गयी हैं और संगीन केशों में उनको गिरफ्तार किया गया है।.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यो अब माननीय प्रधान मंत्री हाल ही में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के बारे में एक वक्तव्य देंगे। इसके बाद कल नेतागणों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित की जाएगी। सभा के पुनः समवेत होने के तत्काल बाद प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर नियम 143 के अन्तर्गत चर्चा होगी, जिसके लिए श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री वी.वी. राघवन के नाम स्वीकार किए गए हैं।

एक अन्य टिप्पणी भी करनी है। अपराह्न 2.00 बजे से 2.30 बजे तक दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन प्रसारित होंगे। इसलिए सभा के मध्याह्न भोजन का समय अपराह्न 1.30 बजे से 2.30 बजे तक होगा।

अब, माननीय प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

.....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.34 बजे

### प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

हाल ही में पोखरण में किए गए आणविक परीक्षण

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) :** महोदय, मैं सदन को उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो घटनाएं सत्रावसान के दौरान घटी हैं। 11 मई, 1998 को भारत ने तीन भूमिगत नाभिकीय परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किए। 13 मई को दो और भूमिगत परीक्षण करके परीक्षणों की योजनाबद्ध श्रृंखला को पूरा किया गया। मैं चाहूंगा कि यह सदन उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा रक्षा कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे साथ शामिल हो जिनकी अद्वितीय सफलता ने हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की भावना से ओत-प्रोत होने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, अपने इस वक्तव्य के अलावा, मैं 'भारत की नाभिकीय नीति का विकास' शीर्षक के अन्तर्गत दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का उदय एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हुआ था तब नाभिकीय युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

आत्मनिर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। हमने शीत युद्ध के प्रतिमान को अस्वीकार कर दिया तथा गुट-निरपेक्षता के और कठिन रास्ते को चुना। हमारे नेताओं ने महसूस किया कि नाभिकीय शस्त्र से मुक्त विश्व न सिर्फ भारत की सुरक्षा अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यही कारण है कि निरस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधारस्तंभ था और है।

पचास के दशक के दौरान भारत ने सभी नाभिकीय शस्त्र परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान करने की पहल की। 2 अप्रैल, 1954 को लोकसभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिनकी स्मृति में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ने कहा था, 'नाभिकीय, रासायनिक और जैविक उर्जा तथा शक्ति का उपयोग सामूहिक विनाश के इथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने नाभिकीय इथियारों के निषेध और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से नाभिकीय परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। इस आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया।

1965 में गुट-निरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा था जिसके अन्तर्गत नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश अपने शस्त्रागारों का परित्याग करने के लिए सहमत हों, बशर्ते अन्य देश भी इस प्रकार के इथियारों का विकास करने और उन्हें प्राप्त करने में संयम बरतें। अधिकारों और बाध्यताओं के इस संतुलन को स्वीकार नहीं किया गया। 60 के दशक में 'हमारी सुरक्षा चिंताएं' और बढ़ गईं। हमारे देश ने सुरक्षा की गारंटी मांगी लेकिन जिन देशों से यह मांग की गई थी वे हमारे प्रत्याशित आश्वासनों को पूरा करने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप, हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं।

5 अप्रैल, 1968 को लोकसभा ने अप्रसार संधि पर बहस की थी। प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्चर्य व्यक्त किया कि हमारा आत्म-ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ही पूर्णतः हमारा दिशा-निर्देशन करेंगे। यह संक्रांति काल था और उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वानुमति का परिचय देते हुए तत्कालीन सरकार के निर्णय को उचित ठहराया था।

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में, हमने अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रदर्शन किया था। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के नाभिकीय विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 के निर्णय के पीछे यही मूल कारण था, सदन ने उस निर्णय का भी सर्वसम्मति से स्वागत किया था।

इसी बीच 80 और 90 के दशकों में नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र अप्रसार के परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक रूप

से हास दिखाई दिया। हमारे आस-पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों की होड़ बढ़ी है और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इसके आलावा, भारत विदेशी सहायता प्राप्त और युष्केरित आंतकवाद, उग्रवाद और परोक्ष युद्ध का भी शिकार हुआ है।

विश्व स्तर पर नाभिकीय शस्त्र इथियार मुक्त विश्व की दिशा में अप्रसर, निर्णायक और अपरिवर्तनीय कदम उठाने का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके बजाए, अप्रसार संधि को उन पांच देशों के हाथों में नाभिकीय शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए अनिश्चित काल तक तथा बिना शर्त के विस्तारित किया गया।

ऐसी परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी जिसने हमारा सही मार्ग प्रशस्त किया वह था हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। ये परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए थे जिन्होंने इस देश को विचारों तथा कार्रवाई की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के मार्ग की ओर अप्रसर किया है।

भारत एक नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है। यह एक वास्तविकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहवा है जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा प्रदत्त एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छठे भाग वाले इस भारत को दातव्य अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारे उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाती है। हमारा इरादा, इन इथियारों का प्रयोग आक्रमण के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, ये इथियार आत्मरक्षा के लिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत को कोई नाभिकीय खतरा नहीं है अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है। हमारा इरादा इथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं है।

विगत काल में हमने कई पहल किए हैं। हमें खेद है कि अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्यों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। वस्तुतः यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो हमें वर्तमान परीक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाभिकीय शस्त्र अभिसमय के लिए वार्ता शुरू करने के लिए आह्वान करने में हम आगे रहे हैं तथा आगे रहेंगे ताकि इस चुनौती से उसी प्रकार निबटा जा सके जिस प्रकार जैविकी इथियारों से सम्बद्ध अभिसमय और रासायनिक इथियारों से सम्बद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महाविनाशक इथियारों से निबटे थे।

भारत परम्परागत रूप से एक बहुमुखी दृष्टि रखने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ बचनबद्धता प्रकट करती है। यह बचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारिकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं तथा मेरी सरकार इन संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाने का इरादा रखती है।

हमारी नाभिकीय नीति संयम और खुलेपन से ओतप्रोत है। हमने न तो 1974 में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन नहीं किया है। 1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि, संयम से सामर्थ्य बढ़ता है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकता। हाल ही में भारत द्वारा की गई परीक्षणों की शृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई संतुलित थी यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकल्पना के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी।

तत्पश्चात् सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि भारत अब इन पर अपनी ओर से प्रतिबंध लगा देगा तथा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। हमने इस घोषणा के विधि संगतीकरण की दिशा में अग्रसर होने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है।

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अवगत है। हमारे नागरिकों का व्यापक समर्थन हमारे शक्ति का स्रोत है। इससे यह नहीं प्रकट होता कि यह निर्णय सही था अपितु यह भी जाहिर होता है कि हमारे देश को संकेन्द्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। इसे मैं पुनीत कर्तव्य के रूप में करने का संकल्प लेता हूँ। हमें विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गार पूर्ण समर्थन से अत्यधिक खुशी मिली है उन्होंने एक स्वर में हमारी कार्रवाई के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। हम आने वाले कठिन समय में भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों से समर्थन की आशा करते हैं।

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में इतिहास के यादगार क्षणों में है। सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है जिसने पांच दशकों तक हमारा मार्ग प्रशस्त किया। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरन्तर सफल हुई हैं। इस मतैक्य को कायम रखना जरूरी है क्योंकि हम अगली सहस्राब्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के मेरे वक्तव्य में तथा सदन के सभा पटल पर रखे गए कागजात में मैंने सरकार के निर्णय के मूलाधारों की विस्तार से चर्चा की है तथा भविष्य के हमारे प्रस्तावों का उल्लेख किया है। वर्तमान निर्णय और भावी कार्रवाईयां प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलता और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति बचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाए कार्रवाई के प्रति आश्वासन से उत्पन्न होगा। विजयोल्लासवाद से बचते हुए हमें अपने सामने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हुए कार्य करना चाहिए कि हम जैसे ही नई सहस्राब्दी में प्रवेश करें, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उच्च स्थान मिले।

महोदय, मैं "भारत की आणविक नीति का विकास" शीर्षक से एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

### भारत की आणविक नीति के विकास के बारे में विवरण\*

सरकार ने 11 मई को एक वक्तव्य जारी करके यह घोषणा की थी कि भारत ने पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किये हैं। दो और सब-किलोटन के भूमिगत परीक्षण करने के दो दिन के पश्चात् सरकार ने परीक्षणों की योजनाबद्ध शृंखला के पूर्ण होने की घोषणा की। 11 मई को 15.45 बजे किये गये तीन भूमिगत परीक्षण तीन अलग-अलग विधाओं के थे एक फिशन डिवाइस, एक कम शक्ति का सब किलोटन डिवाइस तथा एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। 13 मई को 12.21 बजे किये गए दो परीक्षण भी सब किलो टन रेंज से कम शक्ति वाले डिवाइस थे। इन परीक्षणों के परिणाम हमारे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुरूप रहे हैं।

1947 में जब राष्ट्रों के समूह में अपना उपयुक्त स्थान लेने के लिए भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ तब, आणविक युग की शुरुआत हो चुकी थी। तब हमारे नेताओं ने आत्म-निर्भरता तथा विचार और कार्य की स्वतंत्रता के विकल्प के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने शीत युद्ध के प्रतिमान को, जिसकी छाया दिगन्त में उत्पन्न हो रही थी अस्वीकार कर दिया तथा अपने को किसी ब्लाक के साथ जोड़ने के बदले, हमने गुट-निरपेक्षता के कठिन रास्ते को चुना। इसके लिए आवश्यकता थी कि हम अपनी संसाधनों, अपनी कार्यकुशलता तथा सृजनात्मक शक्ति और लोगों के समर्पण के जरिए राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करें। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी पहल विज्ञान का विकास तथा वैज्ञानिक भावना को लोगों के मन में बिठा कर की थी। यही वह पहल थी जो 11 और 13 मई की सफलताओं का आधार बनी और जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों के बीच अनुकरणीय सहयोग के जरिए संभव बनाया जा सका। निरस्त्रीकरण उस समय तथा अभी भी हमारी विदेश नीति में एक बड़ी बाधा रही है। वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र के लिए जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर स्वतंत्रता की अनोखी लड़ाई लड़ी हो, के लिए केवल यही मार्ग बचता था और अभी भी है।

आणविक तकनीकी के विकास ने विश्व सुरक्षा को बदल दिया है। हमारे नेताओं का यह कहना था कि आणविक हथियार युद्ध के हथियार नहीं थे बल्कि, बड़े पैमाने पर तबाही के हथियार थे अतः एक आणविक शस्त्र मुक्त विश्व से न केवल भारत की सुरक्षा में अपितु सभी राष्ट्रों की सुरक्षा में अभिवृद्धि होगी। हमारी आणविक नीति में यही सबसे बड़ी बाधा है। सामान्य तथा भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण के अभाव में हम एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते जो आणविक हथियार संपन्न और आणविक हथियार विहीन राष्ट्रों के बीच एक मनमाने विभाजन का निर्माण करता है। भारत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने सर्वोपरि राष्ट्रीय हितों के बारे में निर्णय लेने और उसे लागू करने का सार्वभौमिक

\*[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० - 173/98]

अधिकार है। हम राष्ट्रों के समान और वैद्य सुरक्षा हितों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं तथा इसे एक संप्रभु अधिकार मानते हैं, साथ ही हमारे नेताओं ने प्रारंभ में ही यह समझ लिया कि आणविक तकनीकी में आर्थिक विकास की असीम क्षमताएं हैं, विशेषकर विकासशील राष्ट्रों के लिए जो काफी वर्षों से चले आ रहे औपनिवेशिक शोषण के कारण बनी तकनीकी खाई को फांदने का प्रयास कर रहे हैं। इस विचारधारा की झलक स्वतंत्रता के एक वर्ष के अंदर 1948 में पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम में मिलती है। आणविक निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में तब से हमारे द्वारा की गई अनेक पहलकदमियां हमारी उन घोषित नीतियों के अनुरूप ही रही हैं।

पचास के दशक में परमाणु परीक्षण जमीन पर हुआ और विशिष्ट मशरूम बादल आणविक युग के स्पष्ट प्रतीक बन गये। उस समय भारत ने आणविक हथियार दौर को समाप्त करने के लिए पहल की और प्रथम कदम के रूप में सभी आणविक हथियार परीक्षणों पर रोक लगाने का आह्वान किया। प्रथम हाइड्रोजन बम के परीक्षण के तुरंत पश्चात्, 2 अप्रैल, 1954 को लोक सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'आणविक, रासायनिक और जैविक ऊर्जा तथा शक्ति का उपयोग व्यापक विनाश के लिए हथियार बनाने में नहीं किया जाना चाहिए।' उन्होंने आणविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और इसकी समाप्ति के लिए वार्ताओं तथा आंतरिक रूप से आणविक परीक्षणों को रोकने के लिए यथास्थिति समझौते का आह्वान किया। उस समय तक विश्व में 65 से कम परीक्षण हुए थे। हमारे आह्वान पर ध्यान नहीं दिया गया। 1963 में वायुमंडलीय परीक्षण पर रोक लगाने के लिए एक करार किया गया परन्तु उस समय तक राष्ट्रों ने भूमिगत आणविक परीक्षण की तकनीक विकसित कर ली थी, और आणविक हथियार दौड़ अबाध गति से जारी रही। तीन दशकों के पश्चात् जब 2000 से अधिक परीक्षण कर लिये गये, तब ठाई वर्षों की वार्ताओं के पश्चात् जिसमें भारत ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1996 में एक व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। इस संधि के अंतिम रूप में अनेकों ऐसी बातें छोड़ दी गई थी जिन्हें उसमें होना चाहिए था। न तो यह व्यापक थी और न ही यह निरस्त्रीकरण से संबंधित।

1965 में गुट निरपेक्ष देशों के एक छोटे समूह के साथ भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय अप्रसार करार का एक विचार रखा जिसके अन्तर्गत आणविक शस्त्र सम्पन्न राष्ट्र अपने शस्त्रों को त्याग देने के लिए सहमत होंगे बशर्ते अन्य देश भी ऐसे हथियारों के विकास करने और उन्हें प्राप्त करने से परहेज करेंगे। लगभग 30 वर्ष पूर्व जब 1968 में परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) अस्तित्व में आया तो अधिकारों और बाध्यताओं का वह संतुलन नहीं था। साठ के दशक में हमारी सुरक्षा चिन्ताएं बढ़ी थी। किंतु नाभिकीय शस्त्रों से हमें ऐसी घृणा थी और उन्हें प्राप्त करने से बचने की हमारी इतनी इच्छा थी कि इसके बजाय हमने विश्व की प्रमुख नाभिकीय शक्तियों से सुरक्षा की गारंटी मांगी। जिन देशों से हमने समर्थन और सहयोग की मांग की थी वे हमारी तत्कालीन मांग को पूरा करने में असमर्थ थे। इन्हीं कारणों से भारत ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

लोक सभा में 5 अप्रैल, 1968 को अप्रसार संधि पर वाद-विवाद हुआ। तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सदन को आश्वस्त किया कि 'हमारा' आत्म-ज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार ही पूर्णतः हमारा दिशा निर्देशन करेंगे। नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति देश की बचनबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने अप्रसार संधि की कमियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को और देश को सचेत किया कि संधि पर हस्ताक्षर न करने से राष्ट्र के सम्मुख अनेक कठिनाईयां आ सकती हैं। इसका तात्पर्य है कि सहायता पर रोक और सहायोग पर रोक। चूंकि हम यह निर्णय मिलकर ले रहे हैं अतः हमें इसके परिणामों का मुकाबला भी मिलकर ही करना चाहिए।' यह एक संक्रातिकाल था। उस समय इस सदन ने राष्ट्रीय सर्वसम्मति दशाति हुए सरकार के निर्णय को संबल प्रदान किया।

अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा निर्णय विचार और कार्य की स्वतंत्रता को कायम रखने के आधारभूत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। 1974 में हमने अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद आने वाली सरकारों ने भारत के नाभिकीय विकल्प की सुरक्षा करने के लिए उस संकल्प और राष्ट्रीय इच्छा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखा। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर न करने के 1996 के निर्णय के मूल में ही यही प्राथमिक कारण था, इस निर्णय का भी सदन ने एक बार फिर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था। उस समय हमारा दृष्टिकोण यह था कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से भारत की नाभिकीय क्षमता का एक अस्वीकार्य निम्न स्तर पर गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। हमारे सुरक्षित अधिकार और भी बढ़ गए क्योंकि सी.टी.बी.टी. भी नाभिकीय निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अमल में नहीं लाई। अतः दोनों स्थितियों में एक बार फिर हमारी सुरक्षा चिन्ताएं अनसुलझी रह गईं। 1996 में इस विषय पर विचार-विमर्श के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने इस सदन को सरकार के तर्कों के बारे में स्पष्टीकरण दिया था।

इसी बीच 80 और 90 के दशक में नाभिकीय और प्रक्षेपास्त्र प्रसार के परिणामस्वरूप हमारे सुरक्षा वातावरण में क्रमिक ड्रास हुआ। हमारे पड़ोस में नाभिकीय शस्त्रों में वृद्धि हुई और अत्याधुनिक प्रक्षेपण प्रणालियों की स्थापना कर ली गई। इससे भी अधिक, हमारे क्षेत्र में परोक्ष रूप से नाभिकीय सामग्री प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के बारे में पता लगा। इस अवधि में भारत विदेशी सहायता प्राप्त और दुष्चेरित आतंकवाद, उपद्रव तथा भाड़े के सैनिकों के माध्यम से परोक्ष युद्ध का शिकार हो गया।

शीत युद्ध की समाप्ति 20वीं सदी के इतिहास में विभाजक रेखा को चिह्नित करती है। हालांकि इसने यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य को बदला तथापि इसने भारत की सुरक्षा चिन्ताओं का समाधान निकालने की दिशा में कुछ भी नहीं किया। सापेक्ष व्यवस्था जिस तक यूरोप में पहुंचा गया था, विश्व के अन्य भागों में नहीं दोहराई गई थी।

विश्वव्यापी स्तर पर, नाभिकीय शस्त्र संपन्न देशों की तरफ से नाभिकीय हथियार मुक्त विश्व की दिशा में अग्रसर, निर्णायक तथा अपरिवर्तनीय कदमों को उठाने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके बजाय अग्रसर संधि को उन पांच देशों के हाथों में नाभिकीय शस्त्रों की मौजूदगी को अविच्छिन्न बनाते हुए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं, अनिश्चित काल तक तथा बिना शर्त के विस्तारित किया गया। कुछ देशों के ऐसे सिद्धांत हैं जो नाभिकीय शस्त्रों के पहले प्रयोग की अनुमति देते हैं। ये देश अपने नाभिकीय शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं।

ऐसी परिस्थितियों में भारत के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े कि देश के नाभिकीय विकल्प को सदियों से विकसित तथा सुरक्षित, स्वैच्छिक, स्वआरोपित नियंत्रण द्वारा हास होने की अनुमति न दी जाए। निःसंदेह इस प्रकार के क्षरण से हमारी सुरक्षा पर गैर-मियादी तरीके से प्रतिबल प्रभाव पड़ सकता था। इस प्रकार सरकार को इस कठिन निर्णय का सामना करना पड़ा। एकमात्र कसौटी जिसने हमारा मार्ग प्रशस्त किया हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। 11 और 13 मई के परीक्षण पहले से तैयार की गई नीतियों के अनुक्रम में किए गए ये जिन्होंने देश को विचार और कार्रवाई की आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर किया है। तथापि, कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब चुना हुआ रास्ता कटकमय हो जाता है और निर्णय लेना पड़ जाता है। हमारे नाभिकीय अध्याय में 1968 के साथ-साथ 1974 और 1996 ऐसे ही क्षण थे। इन प्रत्येक क्षणों में हमने राष्ट्रीय हित द्वारा किया निर्देशित तथा राष्ट्रीय सर्वानुमति द्वारा समर्थित सही निर्णय लिया था। 1998 के निर्णय का जन्म पूर्ववर्ती निर्णयों की कठोर परीक्षा से हुआ था। यह तभी संभव हो सका क्योंकि वे निर्णय विगत में तथा उचित समय पर सही तरीके से लिए गए थे।

ऐसे समय में जब उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में गतिविधियां द्रुत गति से स्थान ले रही हैं। नए तौर-तरीकों को अभिज्ञात, परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है और उस कौशल को वैज्ञानिकों की समकालीन तथा बाद की पीढ़ियों तक बनाए रखने की बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वैधीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पूर्ववर्ती द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकें। भारत द्वारा किए गए पांच परीक्षणों की सीमित श्रृंखला ठीक इसी प्रकार का एक अभ्यास था। हमने अपने बताए हुए उद्देश्य को प्राप्त किया। इन परीक्षणों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े विभिन्न अनुप्रयोगों तथा विभिन्न निक्षेपण प्रणालियों के लिए विभिन्न उत्पन्न द्रव्यों के नाभिकीय शस्त्रों के अनुरूप हमारी क्षमताओं को वैध ठहराने के लिए समालोचनीय है। इसके साथ-साथ, इन परीक्षणों से हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिससे भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो वे नई डिजायनों के कम्प्यूटर अनुरूपण में और उन्हें सब-क्रिटिकल प्रयोग करने में समर्थ बनाने में सक्षम होंगे। तकनीकी क्षमता की दृष्टि से विश्वसनीय निवारक सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास अपेक्षित संसाधन हो गए हैं।

हमारे पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ हमारी नीतियों में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, भारत शान्ति तथा स्थिरता को प्रोत्साहन देने, और द्विपक्षीय बातचीत एवं वार्ताओं के माध्यम से सभी अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। ये परीक्षण किसी देश के विरुद्ध नहीं किए गये हैं, इनका उद्देश्य भारत की जनता को अपनी सुरक्षा के प्रति पुनः आशंकाजनक बनाना था और अपने इस निश्चय से अवागत कराना था कि इस सरकार के पास पिछली सरकारों की तरह क्षमता है तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा का संकल्प लेती है। सरकार परस्पर लाभकारी संबंधों में सुधार लाने के लिए और एक-दूसरे के क्रियाकलापों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ निरंतर वार्ता करेगी। विश्वासोत्पादन सतत् प्रक्रिया है, और हम इसके प्रति कृतसंकल्प हैं। परीक्षणों के परिणामस्वरूप तथा हमारी सुरक्षा चिन्ताओं के अपर्याप्त मूल्यांकन से कुछ देशों ने हमें वे कदम उठाने को कहा जिनसे हमें दुख हुआ है। हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देते हैं। हम वार्ता के लिए वचनबद्ध हैं तथा इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं कि भारत की सुरक्षा कायम रहने से इन देशों के साथ कोई विवाद नहीं होगा।

भारत नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न देश है। यह एक वास्तविकता है जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी कोई प्रदत्त चीज नहीं है जिसे हम चाहते हैं और न ही कोई ओहदा है जो दूसरे हमें दें। यह तो हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा दी गयी एक राष्ट्रीय धरोहर है। यह विश्व की आबादी के छोटे भाग वाले इस भारत का उचित अधिकार है। हमारी सुदृढ़ क्षमता हमारी उत्तरदायित्व के भाव को, शक्ति के उत्तरदायित्व और बाध्यता को जोड़ती है। भारत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के प्रति सचेत रह कर आक्रमण करने के लिए अथवा किसी देश के खिलाफ भय पैदा करने के लिए इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत को कोई नाभिकीय खतरा नहीं है, अथवा भारत पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है। 1994 में हमने सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से यह वचन लें कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध अपनी-अपनी नाभिकीय क्षमता का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। सरकार ने इस अवसर पर अपनी यह तत्परता दोहराई कि वह उस देश के साथ तथा अन्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय तौर पर अथवा सामूहिक रूप से 'पहले प्रयोग नहीं करने' से सम्बद्ध करार पर बातचीत करें। भारत हथियारों की दौड़ में नहीं रहेगा। भारत शीत युद्ध के सिद्धांतों में योगदान नहीं करेगा अथवा पुनर्प्रतिपादन नहीं करेगा। भारत अपनी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत के प्रति बचनबद्ध है कि नाभिकीय हथियारों के सार्वभौम उन्मूलन की धारणा इसकी सुरक्षा के साथ-साथ शेष विश्व की सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। यह विशेषकर अन्य नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों से अनुरोध करता रहेगा कि वे इन उपायों को अपनाए जो इस लक्ष्य के प्रति अर्थपूर्ण रूप से योगदान करेंगे।

पूर्व में कई पहलकदमियों की गई हैं। 1978 में भारत ने एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के लिए वार्ता का प्रस्ताव किया था जो नाभिकीय हथियारों के उपयोग अथवा उपयोग के भय का निषेध करेगा। इसके बाद 1982 में एक अन्य पहलकदमी की गई

जिसे 'न्यूक्लीयर फ्रीज' कहा गया इधियारों के लिए विखण्ड्य सामग्रियों के उत्पादन, नाभिकीय इधियारों के उत्पादन तथा संबंधित इंधनीय सिस्टम पर रोक। 1988 में हमने एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी नाभिकीय इधियारों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक कार्य योजना पेश की थी। हमें खेद है कि अन्य नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्यों से इन प्रस्तावों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। यदि उनका जवाब सकारात्मक होता तो भारत को वर्तमान परीक्षण नहीं करना पड़ता। यही बात है कि जहां नाभिकीय इधियारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण दूसरे से भिन्न है। यही भिन्नता हमारे नाभिकीय सिद्धांत की आधारशिला है। यह बड़े पैमाने पर सभी नाभिकीय इधियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए नियंत्रण और संघर्ष करने का प्रतीक है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन जो नाभिकीय निरस्त्रीकरण को उच्चतम प्राथमिकता देता आ रहा है, द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से की गई ऐसी पहलकदमियों का समर्थन करता रहेगा। हाल ही में पिछले सप्ताह कार्टेजेना में सम्पन्न गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बात की पुनः पुष्टि की गई जिसने निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध सम्मेलन सहित नाभिकीय इधियार अभिसमय में अपना यह आह्वान दोहराया कि उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर एक तदर्थ समिति की स्थापना की जाए जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर नाभिकीय इधियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम के सिलसिले में 1988 में बातचीत शुरू कर दे। 113 गुट-निरपेक्ष देशों की एक सामूहिक आवाज सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को परिलक्षित करती है जिसके प्रति भारत वचनबद्ध रहा है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्यों में से एक सदस्य का प्रस्ताव जिसे हम अत्यधिक महत्व देते हैं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख करना था जिसके फलस्वरूप 8 जुलाई, 1996 को सलाहकार मत के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से सर्वसम्मत घोषणा करना था कि 'संघट और प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत अपने सभी पहलुओं में नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में नेकनीयती से बातचीत सम्पन्न करने की बाध्यता विद्यमान है', इस मामले पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से जिन देशों ने अनुरोध किया उनमें भारत भी एक है। अन्य किसी नाभिकीय शस्त्र सम्पन्न राज्य ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया, वास्तव में वे इसकी निन्दा करना चाहते थे। नाभिकीय शस्त्र अभिसमय के लिए बातचीत शुरू करने में हम हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे ताकि इस चुनौती को उसी प्रकार से निपटा जा सके जिस प्रकार जैविकी इधियारों से सम्बद्ध अभिसमय तथा रासायनिक इधियारों से सम्बद्ध अभिसमय के माध्यम से दो अन्य महा विनाशक इधियारों से निबटे थे। अपने निरस्त्रीकरण संबंधी व्यापक, सार्वभौमिक तथा भेदभाव रहित दृष्टिकोणों के प्रति वचनबद्धता को कायम रखने में भारत इन दोनों अभिसमयों का एक आरंभिक पक्षकार राज्य है। तदनुसार, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण-रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन-को अपने रासायनिक इधियारों को समाप्त करने की योजना शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा।

भारत परम्परागत रूप से एक बहुमुखी दृष्टि रखने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में हमारी सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीयवाद के प्रति हमारी दृढ़ वचनबद्धता परिलक्षित करती है।

हाल के वर्षों में, नई चुनौतियों का सामना करते हुए हमने सार्क, हिन्द महासागर रीम संघ के क्षेत्रीय सहयोग तथा आसियान क्षेत्रीय मंच के एक सदस्य के रूप में क्षेत्रीय सहयोग को सक्रियता से संवर्धित किया है। यह वचनबद्धता जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से हमारे क्षेत्रीय और सार्वभौमिक संबंध और बढ़े हैं और सरकार इन संबंधों को सघन और मजबूत बनाएगी।

हमारी नाभिकीय नीति संयम और खुलेपन से ओत-प्रोत है। इसने न तो 1974 में और न ही अब 1998 में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करारों का उल्लंघन किया है। हाल के वर्षों में अपने संचालनकर्ताओं को हमारी चिन्ता से अवगत करा दिया गया है। 1974 में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर लेने के बाद 24 वर्ष तक संयम बरतने का अपने आप में एक बेजोड़ उदाहरण है। तथापि संयम से सामर्थ्य उत्पन्न होती है। यह किसी अनिर्णय अथवा संशय पर आधारित नहीं हो सकती। संयम तभी तक जायज है जब तक संशयों का निवारण नहीं हो जाता। भारत द्वारा किए गए परीक्षणों की श्रृंखला ने शंकाओं का निवारण कर दिया है। इससे जुड़ी कार्रवाई एकत्रित संतुलित थी। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिकल्पना के अपरिवर्तनीय घटक को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। अतः सरकार के इस निर्णय को संयम बरतने की उस परम्परा के भाग के रूप में देखा जाना चाहिए जो पिछले पचास वर्षों में हमारी नीति की मुख्य विशेषता रही है।

परीक्षणों के उपरान्त सरकार ने पहले ही यह बता दिया है कि भारत अब इन पर अपनी ओर से प्रतिबन्ध लगा देगा तथा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोट करने से बचा रहेगा। सरकार ने इस घोषणा के कानूनन निर्विघ्नकरण की दिशा में अग्रसर होने की इच्छा का भी संकेत दिया है। नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों से दूर रहने की व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि की प्राथमिक बाध्यता इस प्रकार पूरी हो जाती है। अपनी ओर से की गई इस घोषणा का अभिप्राय सार्थक वचनबद्धता के लिए हमारे आशय की गंभीरता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना है। अपने देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के प्रति अपने आपको आश्वस्त कर लेने के पश्चात् और निर्णय बाद में लिए जाएंगे।

भारत ने विखण्डनीय पदार्थ कट ऑफ संधि पर जेनेवा में होने वाले निरस्त्रीकरण सम्मेलन की बातचीत में भाग लेने के लिए अपनी तत्परता का संकेत भी दिया है। इस संधि का बुनियादी उद्देश्य नाभिकीय इधियारों या नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों को प्रयोग में लाने के लिए विखण्डनीय पदार्थों के भावी उत्पादन पर रोक लगाना है। इन बातचीतों में भारत का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना रहेगा कि यह संधि एक प्रभावकारी जांच तंत्र द्वारा समर्थित एक सार्वभौमिक तथा भेद-भाव रहित संधि के रूप में उभर कर सामने आए। जब हम इन बातचीतों की शुरुआत करें तब सरकार राष्ट्र की शस्त्र-सुसज्जित नाभिकीय प्रतिरोधकता की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता को पूर्ण विश्वास में लेगी।

यद्यपि हम न तो अग्रसार संधि के पक्षकार हैं और न ही हम नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं फिर भी भारत ने नाभिकीय पदार्थों तथा उससे सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर

प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा है। फिर भी भारत परमाणु अप्रसार के प्रति बचनबद्ध है तथा उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियंत्रण बनाए रखा है ताकि हमारे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी ज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों का रहस्योद्घाटन न हो जाए। वास्तव में इस संबंध में भारत का आचरण अप्रसार संधि के कुछ पक्षकार देशों के मुकाबले बेहतर रहा है।

भारत ने विगत में अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय अप्रसार प्रणाली की अपर्याप्तता पर अपनी चिन्ताओं से अवगत कराया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा देश इसमें शामिल होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था हमारे देश की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का समाधान नहीं करती। इनका समाधान सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के हमारे अधिमानी दृष्टिकोण की दिशा में अप्रसर होने से किया जा सकता है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, अतः भारत को उभरती हुई व्यवस्था से अलग खड़ा होने के लिए बाध्य होना पड़ा है ताकि उसके कार्य करने की स्वतंत्रता पर कोई दबाव न डाला जाए। यह यथार्थ रास्ता है जिसका अनुपालन पिछले तीन दशकों से दृढ़ता पूर्वक किया जाता रहा है वहीं सकारात्मक दृष्टिकोण देशों के साथ भारत की वार्ता का आधार होगा जिसके प्रति हमारे गंभीर आशय और इच्छा का अनुसरण किए जाने की है ताकि आपसी हित चिन्ताओं का संतोषजनक हल निकाला जा सके। भारतीय राजनीतिज्ञता की चुनौती संतुलित है और इस संबंध में वैध अंतर्राष्ट्रीय चिन्ताओं के साथ भारत की सुरक्षा अत्यावश्यकताओं के साथ मेल खाती है।

यह सदन भारत की जनता तथा विश्व के विभिन्न भागों से प्राप्त हुई विभिन्न प्रतिक्रियाओं से अवगत है। भारत के नागरिकों का व्यापक समर्थन सरकार की शक्ति का स्रोत है। यह केवल यह नहीं बताता है कि निर्णय सही था अपितु यह भी जाहिर करता है कि देश को संकेद्रित नेतृत्व की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देती है। यह सरकार पवित्र कर्तव्य करने का संकल्प लेती है। सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से प्राप्त भावोद्गारपूर्ण समर्थन से अत्यधिक खुशी मिली है। उन्होंने एक स्वर में सरकार की कार्यवाही के समर्थन में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। सरकार भारत के नागरिकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों के प्रति अपनी अगाध कृतज्ञता व्यक्त करती है तथा आने वाले कठिन समय में उनसे समर्थन की आशा करती है।

अपनी स्वाधीनता के इस पचासवें वर्ष में भारत अपने इतिहास के यादगार क्षणों में है। सरकार के निर्णय का मूलाधार उसी नीति के सिद्धांत पर आधारित है जिसने पांच दशकों तक देश का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नीतियां राष्ट्रीय सर्वसम्मति के कारण ही निरन्तर सफल हुई हैं। वर्तमान निर्णय और भावी कार्यवाहियां प्राचीन सभ्यता की संवेदनशीलताओं और बाध्यताओं, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति बचनबद्धता को परिलक्षित करना जारी रखेंगे, लेकिन यह नियंत्रण संशयों और आशंकाओं के बजाए कार्यवाही के आश्वासन से उत्पन्न होगा। गीता के (अध्याय 1/1-3) में इसे स्पष्ट किया गया है जो अन्यत्र कहीं नहीं है :

आरूःसुहोर्मुनेयोंं कर्म कारणमुच्यते।  
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥

इस उद्धरण की व्याख्या इस प्रकार है : किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिये कार्यवाही एक प्रक्रिया है, कार्यवाही से डलचल अवश्य मच सकती है लेकिन जब उस पर ध्यान पूर्वक मनन किया जाए तब उसकी परिणति स्थिरता और शान्ति में निहित होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्यगित होती है।

**अपराह्न 12.45 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्यगित हुई।

**अपराह्न 2.32 बजे**

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा अपराह्न 2.32 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाळ) :** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (vii) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।”

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

“कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (vii) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन तीन वर्ष की अवधि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्यों को निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) नारियल विकास बोर्ड

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाळ) :** महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :